of a manager, The principal alone is not sufficient. They have another manager to manage and control it. So, that is something between the guardians' preference and the explcitation of the preference of the guardians by those who are running these pre-schooling institutions.

MR. CHAIRMAN : Yes, Dr. R. K. Poddar.

DR. R. K. PODDAR : Sir, I agree with the honorable Minister that the experts differ over the question whether the children should be taught from the pre-school stage itself or not. But, on one point, the experts agree and it is this that what is taught in the pre-school stage is unscientific and unacademic in character. Now, I do not agree with the Minister that this cannot be controlled. These private schools, mostly the pre-schooling training institutions, the LKGs and UKGs, are nothing but teaching shops. They are just simple professional business establishments which recruits unqualified teachers mostly on a mere pittance of a salary. So, why not the Central Government step in and convene a conference of the State Education Ministers and find out some modalities to control these teaching shop?

SHIR L .P. SHAHI : Yes, Sir. There is a Central Advisory Board on Education.

MR. CHAIRMAN : No. He says that you should call for a meeting of the State Education Ministers dealing with primary education. The Central Board is a bigger body. He says that because this is a subject which concerns the States, you can only talk to them. That is all. I do not think you can have any objection.

SHRI L. P. SHAHI : There is no objection to that. In fact, what I was about to state was that to that meeting all the State Education Ministers are invited and they can take a decision after arriving at a consensus on this matter. We can discuss this matter there.

MR. CHAIRMAN : Mr. Shahi, you have a bigger agenda for the CAB meeeting. What the Member wants is a meeting of the Education Ministers for this purpose only.

DR. R. K. PODDAR : Education is at many levels, primary, secondary, college and university levels. But I request you specifically to convene a meeting of the Education Ministers involving primary education.

SHRI L. P. SHAHI : We will consider that.

MR. CHAIRMAN : Yes, Mr. Deshmukh.

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH : Sir, I would like to know how many such pre-schooling institutions are there in the country and how many of them are run by the Missions and other bodies.

SHRI L. P. SHAHI : Sir, I do not have the number of such schools run by different agencies because there is no system of registration as such. Pre-school institutions are mostly run by private people.

MR. CHAIRMAN : All right Question No. 224.

लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में कंडक्टर गार्ड/यात्रा टिकट निरीक्षक

*224. श्री हरि सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में आरक्षित स्थान युक्त सवारी डिब्बों में

तैनात कंडक्टरों/यात्रा टिकट निरीक्षकों की क्या ड्यूटी होती है ;

(ख) क्या सरकार को इन शिकायतों की जानकारी है कि आरक्षित स्थान युक्त लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में कम दूरी तक जाने वाले यात्री, भिखारी और फेरी वाले बीच के स्टेशनों पर इन सवारी डिब्बों में चढ जाते हैं, जिससे लंबी दूरी तक यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी असुविधा होती है और उनकी सुरक्षा के लिये भी खतरा उत्पन्न हो जाता है ;

(ग) क्या सरकार को इन शिकायतों की भी जानकारी है कि कंडक्टर गार्ड/यात्रा टिकट निरीक्षक कई मामलों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को नहीं रोकते जैसा कि उक्त भाग (ख) में उल्लेख किया गया है तथा पुलिस गार्ड इन सवारी डिब्बों में केवल रात को कभी-कभार आते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो आरक्षण कराकर लंबी दूरी तक यात्रा करने वाले यात्रियों की बेहतर सुरक्षा और आराम के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया ।

विवरण

(क) आरक्षित डिब्बों में तैनात कण्डक्टरों/चल टिकट परीक्षकों की मुख्य ड्यूटियां सवारी डिब्बों में प्रवेश को नियमित करना टिकटों की जांच करना खाली शायिकाएं आवंटित करना, रेलवे की देय राशि वसूल करना सवारी डिब्बों का सामान्य रखरखाव सुनिश्चित करना तथा सामान्यतः यात्रियों की सहायता करना ।

(ख) और (ग) ऐसे कुछ मामलों की रिपोर्ट की गयी है।

(घ) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:--

(1) मासिक उपनगरीय टिकट धारकों सहित थोड़ी दूरी के यात्रियों को लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने पर रोक लगा दी गई है।

(2) लंबी दूरी की गाड़ियों में यात्रा के लिए दूरी प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ।

(3) राजकीय रेलवे पुलिस/रेल सुरक्षा बल की सहायता से अचानक जांच की जाती है और आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करते हुए पाये गये अनधिकृत यात्रियों को गाड़ी से उतार दिया जाता है और भारतीय रेल अधिनियम के उपबंधों के तहत उन पर जुर्माना किया जाता है।

(4) उपयुक्त समयों पर दैनिक यात्री गाड़ियां चलाना तथा सीजन टिकट धारियों के लिए कुछ गाड़ियों में अनारक्षित सवारी डिब्बे निर्धारित करना ।

(5) ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने के लिए दोषी पाये गये कण्डक्टरो/ परिचरों को दंड देना ।

श्री हरि सिंह : मान्यवर, मंत्री जी द्वारा सदन के पटल पर जो बयान रखा गया है, उसमें चौथे बिंदु के संबंध में लिखा है, "उपयुक्त समयों पर दैनिक यात्री गाड़ियां चलाना तथा सीजन टिकिटधारियों के लिए कुछ गाड़ियों में अनारक्षित सवारी डिब्बे निर्धारित करना ।" मान्यवर, दिल्ली में अलीगढ़ और बुलन्दशहर से हजारों की तादाद में दैनिक यात्री आते हैं, उनकी दिक्कत यह है कि दिल्ली से पूरब को जाने वाली दैनिक गाड़ी सिर्फ 5 बजकर 40 मिनिट पर है । उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं है । होता यह है कि बुलन्दशहर और अलीगढ़ से आने वाले ये हजारों दैनिक यात्री लखनऊ

मेल, गाल्लोमार एक्सप्रेस जैसी बड़ी-बड़ी गाड़ियों में बैठ जाते हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे इन यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ऐसी गाड़ियां चलाएंगे जिससे कि इन यात्रियों को अपने स्टेशन पर पहुंचने में सुविधा हो। साथ ही आए दिन उनके बड़ी गाड़ियों में बैठ जाने से अटेंडेंटस के साथ और दूसरे लोगों के साथ जो झगड़े होते हैं, वह समाप्त हो सकें। क्या ऐसी कोई नयी गाड़ी चलाएंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : श्रीमान, माननीय विद्वान सदस्य ने नयी गाड़ियों के संबंध में प्रश्न उठाया है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि गाड़ियां तो हम बहुत सी सीजनल भी और दूसरी भी चलाते हैं। यदि माननीय सदस्य की यह भावना है, लेकिन इसके पहले भी अलीगढ़, खुर्जा, गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में, कानपुर-एटा के बीच में बहुत सी ऐसी गाड़ियां चलाते हैं जिसमें सीजनल टिकट-धारी जो होते हैं, वह चलते हैं। उसके लिए हमने व्यवस्था यह की है कि दो प्रकार की बोगियां लगाते हैं एक आरक्षित और एक अनारक्षित। कुछ ऐसा निश्चित हम करने जा रहे हैं कि जो आरक्षित हो उसमें सीजनल टिकट-धारियों के चलने की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। अब यदि माननीय सदस्य की यही भावना है तो हम उस पर देखेंगे, अभी इस प्रकार का कोई विचार नहीं है।

श्री हरि सिंह : मान्यवर जी, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी यह है कि प्रायः यह देखा गया है कि जो दूर जाने वाली गाड़ियां होती हैं उनमें अक्सर मुनासिब यात्रीगण नहीं होते हैं बल्कि वे जबर्दस्ती चढ़ जाते हैं। अटेंडेंट बराबर कोशिश करता है कि वे उतर जाएं लेकिन वे ऐसे मुसाफिर होते हैं कि वे अटेंडेंट से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी हालत में जब अटेंडेंट पुलिस फोर्स, रेलवे फोर्स मांगता है, तो वह उसे मिल नहीं पाती। मजबूर होकर वह चुप हो जाता है और इससे जेन्यून यात्रियों को बड़ी परेशानी होती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे इसके लिए भी कोई उपाय करेंगे, बेक एण्ड काल पर कुछ न कुछ सिक्यूरिटी फोर्स हमेशा तैयार रहे जिससे कि यात्रियों को तकलीफ न हो।

श्री महावीर प्रसाद : मैंने पहले मूल प्रश्न के अपने जवाब में, जो सभा-पटल पर रखा हुआ था, उसमें साफ हमने लिखा था कि इस प्रकार से अचानक हम चैकिंग करते हैं जिसमें जी० आर० पी० और रेलवे सुरक्षा बल की मदद से हम कुछ इस प्रकार के असामाजिक और अनधिकृत जो पैसेंजर होते हैं उनको हम चैक करते हैं और इसलिए हमने इसको आगे विचार करने के लिए रेल अधिनियम 1989 लोक सभा से हमने पास किया है। उसमें हमने इस प्रकार के असामाजिक या अनधिकृत यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनको रोकने के लिए कई प्रकार के उपाय किये हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की आरक्षित जगहों पर, आरक्षित डिब्बों पर अनधिकृत रूप से प्रवेश करना कोई यात्री चाहता है तो मौजूदा जो अधिनियम था उसमें हम 20 रुपए प्रति यात्री को जुर्माना करते हैं धारा 109 के आधार पर, लेकिन जो नया विधेयक लोक सभा में पास हुआ है उसके आधार पर 500 रुपए तक हम जुर्माना करेंगे।... (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : रेलवे बिल आज सदन में आ ही रहा है। ...(व्यवधान)

श्री महावीर सिंह : आ रहा है। मैं तो लोक सभा में जो पास हुआ है, उसको बता रहा हूं। इसी प्रकार से बिना किसी प्राधिकार के प्रचार करना अथवा फेरी लगाना जो चाहते हैं और अनधिकृत रूप से डिब्बे में बैठ जाते हैं उनके लिए भी

250 रुपए तक या 6 महीने का जुर्माना पहले था, अब उनके लिए एक वर्ष का कारावास या 2000 हजार रुपए तक का जुर्माना हमने निश्चित किया है ताकि इस प्रकार से ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति : यह हाउस के सामने आज शाम को आ रहा है ।... (**व्यवधान**)

श्री महावीर प्रसाद : तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस तरह से हम उपाय कर रहे हैं ताकि दूसरे यात्री उसमें न बैठ सकें ।

श्री मोहम्मद अमीन : अध्यक्ष जी, लांग डिस्टेंस ट्रेनों में रिजर्वेशन के मामले में लोगों को बड़ी दिक्कत पेश आ रही है । लोगों को रिजर्वेशन मिलता नहीं है । तो क्या कम्प्यूटर सिस्टम होने से यह हालत और खराब हुई है ?

श्री महावीर प्रसाद : ऐसी बात नहीं है, कम्प्यूटर होने से हालत अच्छी हुई है ।

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति जी, मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में बताया कि जी. आर. पी. और आर०पी० एफ० की मदद से अचानक जांच की जाती है और अनधिकृत यात्रियों को दण्डित किया जाता है, साथ ही ड्यूटी पर तैनात जो कंडक्टर होते हैं और टिकट परीक्षक होते हैं, लापरवाही बरतने की वजह से उनको भी नियमानुसार दण्डित किया जाता है । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी तक, जनवरी, 1989 से मई, 1989 तक कितनी बार भोपाल से दिल्ली के बीच में सरप्राइज चैकिंग हुई ? कितने कंडक्टरों और टी. टी. के खिलाफ शिकायत आई ? कितने ऐसे यात्री पकड़े गए जो अनधिकृत पाए गए और उनके खिलाफ अभी तक क्या-क्या कार्यवाई की गई ? साथ ही माननीय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि टी. टी. या अटेंडेंट से जब कम्पलेंट बुक की बात की जाती है तो वह अक्सर मना कर देते हैं । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कम्प्लेन्ट बुक किसके पास रहती है ताकि जो शिकायतें मिलें उनको विधिवत दर्ज किया जा सके ?

श्री महावीर प्रसाद : माननीय सदस्य इसके विषय में विशेष जानकारी चाहते हैं तो अलग से नोटिस दें, मैं बता दूंगा

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Introduction of voluntary retirement scheme by ITDC

*225. SHRI V. GOPALSAMY :

SHRI T.R. BALU ;

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state :

(a) whether the management of India Tourism Development Corporation has introduced a voluntary retirement scheme ;

(b) if so, what are the reasons therefor ;

(c) what is the number of workers who opted for the scheme and have since retired ; and

(d) for how long the scheme will remain in operation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI SHIVRAJ PATIL) : (a) and (b) ITDC had introduced a Pre-mature Retirement Scheme which was operative between 18-6-1985 to 31-7-1985 for the purpose of providing retirement